न्यायालय– विशेष न्यायाधीश (सी.बी.आई.) इन्दौर (म0प्र0)
(समक्ष–रूपम वेदी)

जमानत आवेदन पत्र कमांक – 1744/2025
सी.एन.आर.नं0 एमपी0901–030874–2025
अपराध कं.– 08(S)/2014/CBI/SC-III/ND

विवेक गुप्ता पिता उमेशचन्द्र गुप्ता,
आयु 52 साल, व्यवसाय–शासकीय नौकरी,
निवासी–62, विवेकानन्द कॉलोनी, छिंदवाडा (म.प्र.)
.....आवेदक/आरोपी

विरूद्ध

सी.बी.आई. एस.सी–III, नई दिल्ली.
.....अनावेदक/राज्य

17.05.2025

आवेदक/आरोपी द्वारा अधिवक्ता श्री राहुल पेठे उपस्थित।

सी.बी.आई. नई दिल्ली द्वारा लोक अभियोजक श्री ऋषिकेश साबले वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से दिल्ली से उपस्थित।

उक्त आवेदन पत्र आरक्षी केन्द्र सी.बी.आई. एस.सी–III, नई दिल्ली के प्रथम सूचना रिपोर्ट कं. आर.सी.08(एस)/2014/सी.बी.आई./एस.सी.– III/एन.डी. से संबंधित है।

सी.बी.आई. नई दिल्ली के अपराध कं. आर.सी. 08(एस)/2014/सी.बी.आई./एस.सी.– III/एन.डी. दिनांक 08.12.2014 अंतर्गत धारा 307, 353, 332 भारतीय दण्ड संहिता एवं 25, 27 आयुध अधिनियम की केस डायरी एवं सीबीआई द्वारा जमानत आवेदन का जवाब प्रस्तुत किया। आवेदक के अधिवक्ता को सीबीआई द्वारा प्रस्तुत जवाब की नकल प्रदाय की गई।

आवेदक/आरोपी की ओर से उक्त जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन होना बताते हुए, इस आशय का कोई भी आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करना, न ही लंबित होना और न ही निराकृत होना बताया है, जिसके समर्थन में आवेदक ने स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया है।

आवेदक/आरोपी के अधिवक्ता द्वारा आवेदन पत्र में यह निवेदन किया गया है कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सीबीआई. इंदौर द्वारा आवेदक के विरूद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, जिससे सीबीआई द्वारा उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए यह अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के प्रकाश में सीबीआई नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2014 से मामले की विवेचना की जा रही है। घटना के समय आवेदक थाना मनासा, जिला नीमच में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था और अन्य पार्टियों के साथ बंशी गुर्जर की तलाश में क्षेत्र भ्रमण पर था। तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनासा अनिल पाटीदार को पुलिस अधीक्षक से बंशी गुर्जर के आगमन की सूचना प्राप्त हुई, जिस आधार पर क्षेत्र में भ्रमण कर रही सभी पुलिस पार्टियां थाना नीमच पर एकत्रित हुई एवं संबंधित रोजनामचा में विधिवत इंद्राज करने के उपरांत पुलिस अधीक्षक द्वारा बताये गये स्थान पर जाने हेतु सभी पुलिस पार्टियां चार भागों में विभक्त होकर आक्षेपित स्थान हेतु रवाना हुई, जिसमें से एक पुलिस दल में आवेदक था। घटना दिनांक को पुलिस नाकाबंदी में एक व्यक्ति मोटरसायकिल पर आता दिखा जिसे रोकने हेतु निर्देशित करने पर उक्त व्यक्ति द्वारा दोनों पुलिस दलों पर फायरिंग की गई, जवाबी कार्यवाही में उसे रोकने के लिए पुलिस दल द्वारा फायरिंग करने पर उक्त व्यक्ति घटनास्थल पर गिरकर घ ाायल हो गया, पश्चात् अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। उक्त व्यक्ति की जामा तलाशी में जो दस्तावेज मौके पर बरामद हुए उससे प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट हुआ कि उक्त व्यक्ति फरार आरोपी बंशी गुर्जर है। उसके पश्चात् समस्त कार्यवाही थाना रामपुरा के तत्कालीन प्रभारी ग्लेडविन एडवर्ड कार द्वरा निष्पादित की गई है और दस्तावेजी कार्यवाही में आवेदक का कोई योगदान नहीं है। मुठभेड की कार्यवाही में आवेदक स्वयं भी आरोपी बंशी गुर्जर द्वारा की गई फायरिंग में घायल हुआ था एवं उसका मेडीकल भी हुआ था। सीबीआई द्वारा आवेदक को कारित चोट हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से कारित होना बताया जा रहा है, जबकि मेडीकल क्वेरी में यह

स्पष्ट है कि उक्त चोट आवेदक को फायरिंग से आई है। आवेदक पर अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कारित करने और उसे आरोपी बंशी गुर्जर के रूप में असत्य रूप से शिनाख्ती कराकर षडयंत्रपूर्वक बंशी गुर्जर को पुलिस रिकार्ड में मृत बताने का आरोप है। वर्ष 2014 से सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है, जब भी आवेदक को सूचना पत्र जारी किये, वह सभी दिनांकों को सीबीआई के समक्ष उपस्थित हुआ। रिमाण्ड न्यायालय में आवेदक के गिरफ्तारी के जो आधार बताये गये हैं, उनमें आवेदक द्वारा विवेचना में असहयोग किये जाने का उल्लेख नहीं है। 10 वर्ष से चल रही जांच में सीबीआई मृतक की पहचान सुनिश्चित नहीं कर पाई है। घटना के पश्चात् मृतक के शव की अस्पताल में उसके भाई पप्पू, चाचा भोनीराम, पडोसी शिवनारायण गौड द्व ारा विधिवत् शिनाख्ती बंशी गुर्जर के रूप में की गई है, जिसके संबंध में निष्पादित सभी दस्तावेज मूल केस डायरी का में संलग्न हैं। उक्त मुठभेड की मजिस्ट्रियल जांच जिला दण्डाधिकारी के आदेश से की गई थी, जिसमें मृतक के माता–पिता, पत्नी और अन्य रिश्तेदारों द्वारा मुठभेड़ में मृतक व्यक्ति का बंशी गुर्जर होना स्वीकार किया गया था। उक्त जांच एक स्वतंत्र इकाई द्वारा की गई थी, जिसमें आवेदक का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा है। मुठभेड के घटनास्थल की जांच दिनांक 08.02.2009 को रतलाम विशेषज्ञ फोरेसिंक टीम द्वारा संपादित की गई थी और उसका प्रतिवेदन भी निर्मित किया गया था। फोरेंसिक टीम भी दूसरे जिले की होकर एक स्वतंत्र इकाई थी, जिस पर आवेदक का कोई नियंत्रण नहीं था। सीबीआई द्वारा भी दिनांक 16.03.2025 को स्वयं की फोरेंसिक टीम द्व ारा घटना स्थल पर मुठभेड की घटना का पुर्ननिर्माण कर घटना स्थल की जांच की गई थी। सीबीआई की फोरेंसिक टीम द्वारा ऐसा कोई प्रतिवेदन नहीं दिया गया है कि मुठभेड फर्जी थी। इसके अतिरिक्त सीबीआई द्वारा स्वयं की फोरेंसिक टीम का कोई प्रतिवेदन भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे उनकी जांच प्रक्रिया दूषित होना दर्शित करता है। किसी भी अपराध को गठित करने के लिए ''दोषपूर्ण मन'' या ''आपराधिक मनःस्थिति'' होना आवश्यक है। तर्क के लिए यदि मान भी लिया जाए कि दिनांक 07.02.2009 को हुई मुठभेड पूर्व नियोजित थी जिसका उद्देश्य बंशी गुर्जर के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को मारकर उसकी शिनाख्ती बंशी गुर्जर के रूप में करना था तो ऐसी स्थिति में आवेदक सहित पुलिस दल के अन्य सदस्यों और अधिकारियों को इस बात के अथक प्रयास करने थे कि मारे गये व्यक्ति की शिनाख्ती न हो पाये, परंतु आवेदक सहित पुलिस दल के अन्य सदस्य और अधिकारियों की ऐसी कोई मंशा नहीं थी जो इस तथ्य से भी प्रमाणित होता है कि

तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस रामपुरा द्वारा पोस्टमार्टम स्थल अर्थात हॉस्पीटल में ही पत्रकारों को बुलाकर प्रेस कांफ्रेंस ली गई, जिसमें नीमच और आसपास के जिलों के सभी पत्रकार शामिल थे, जिसमें मृतक के छायाचित्र भी प्रेसकर्मियों को दिये गये और दिनांक 09.02.2009 के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किये गये। जिसस दर्शित होता है कि आवेदक एवं अन्य पुलिस कर्मचारियों या अधिकारियों की मंशा मृतक की शिनाख्ती छुपाने की होती तो उनके द्वारा घटना के दूसरे दिन ही उसकी फोटो अखबार में प्रकाशनार्थ प्रेसकर्मियों को प्रदत्त नहीं किये जाते। घटना के समय आवेदक थाना प्रभारी के रूप में पदस्थ था, उसकी पदस्थापना को मात्र दो माह हुए थे, आवेदक पुलिस दल में पदस्थ सभी अधिकारियों में सबसे कनिष्ठ पुलिस अधिकारी था, तत्समय वह बंशी गुर्जर को चेहरे से नहीं पहचानता था, ऐसी स्थिति में उसे अज्ञात व्यक्ति को मुठभेड में मारकर उसे बंशी गुर्जर के रूप में निरूपित करने के कथित षडयंत्र में उसके शामिल होने का प्रश्न पूर्णतः अप्रासंगिक है। सीबीआई के अनुसार आवेदक सहित अन्य अरोपीगण ने एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या की है, ऐसी स्थिति में अपराध धारा 302 भा.द.वि. के तहत पंजीबद्ध होकर विवेचनाधीन होना चाहिए था, तभी आवेदक को उक्त अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है, परंतु प्रकरण धारा 307 भा.द.वि. में विवेचनाधीन है, ऐसी स्थिति में मूल प्रश्न यह है कि प्रकरण में फरियादी कौन व्यक्ति है, जिसकी हत्या का प्रयास आवेदक द्वारा किया गया है। सीबीआई के अनुसार लाभ प्राप्त करने वाला आरोपी बंशी गुर्जर है, जिसे सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कर दिनांक 12.11.2018 से 26.11.2018 तक पुलिस अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ की गई, किंतु निर्धारित समयावधि में अभियोग पत्र प्रस्तुत न करने के कारण बंशी गुर्जर को धारा 167(2) द.प्र.सं. के अज्ञापक प्रावधानों के तहत प्रतिभूति का लाभ दिनांक 05.08.2019 को प्राप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में आवेदक की गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक नगर पुलिस अधीक्षक, पीथमपुर जिला धार के पद पर पदस्थ होकर राजपत्रित अधिकारी है। ऐसी स्थिति में यदि उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी शासकीय नौकरी पर गहरा आघात होगा, उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जायेगी, उसकी अग्रिम विवेचना में कोई आवश्यकता नहीं है, उससे कोई जप्ती होना शेष नहीं है। आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने पर उसके द्वारा साक्ष्य/गवाहों को प्रभावित करने की भी संभावना नहीं है क्योंकि यदि ऐसा करना होता तो विगत 10 वर्षों में ऐसा किया जा चुका होता। आवेदक की चल–अचल संपत्ति मध्यप्रदेश में ही स्थित है, उसके फरार होने की कोई संभावना

नहीं है। आवेदक न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जावे।

सी.बी.आई. की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए जमानत के आधारों को अस्वीकार करते हुए विरोध कर तर्क किया है कि आवेदक ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ आपराधिक षडयंत्र कर, सक्रिय भूमिका निभाते हुए, अज्ञात व्यक्ति की हत्या बंशी गुर्जर के फर्जी एनकाउंटर के नाम पर की है। आवेदक ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर अज्ञात व्यक्ति की फर्जी एनकांटर के नाम पर हत्या की है तथा इस तरफ की साक्ष्य निर्मित की है जिससे अज्ञात व्यक्ति की हत्या को बंशी गुर्जर का एनकाउंटर बताया जा सके। विवेचना में आवेदक एवं अन्य सहआरोपी के विरूद्ध आपराधिक षडयंत्र कर फर्जी एनकाउंटर बता कर एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या किये जाने हेतु मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त हुई है तथा आवेदक व सहआरोपीगण पर बंशी गुर्जर की फोटो व अन्य सामान अज्ञात मृतक के आधिपत्य में होना बताया गया है जिससे उन्हें ये जानकारी थी कि उक्त बंशी गुर्जर की फोटो अज्ञात मृतक से मेल नहीं हो रही है, उसके उपरांत भी फर्जी साक्ष्य के आधार पर अज्ञात व्यक्ति को बंशी गुर्जर होना साबित किये जाने का प्रयास किया गया है। विवेचना के दौरान आवेदक व अन्य आरोपीगण के विरूद्ध प्रथमदृष्टया अपराध अंतर्गत धारा 120बी, सहपठित धारा 302, 119, 193 व 201 भा.द.वि. की पर्याप्त साक्ष्य अभिलेख में है, अतः आवेदक से पूछताछ करने हेतु उसकी अभिरक्षा की आवश्यकता है तथा आवेदक पुलिस अधिकारी है, यदि उसे अग्रिम जमानत पर छोड़ा गया तो वह साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है। अतः उसका जमानत आवेदन निरस्त किया जाए। न्यायदृष्टांत कल्याण सरकार वि. राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव व अन्य 2004 (7) एससीसी 528 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत प्रकाश कदम व अन्य वि. रामप्रसाद विश्व गुप्ता व अन्य (2011) 6 एससीसी 189 में प्रतिपादित विधि की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 04.02.2009 को जोधपुर पुलिस, रतनलाल मीणा को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में सुंदी, जिला नीमच लेकर आये थे, तभी बंशी गुर्जर व अन्य ने पुलिस पर आक्रमण किया एवं पुलिस की रायफल व आरोपी रतनलाल को पुलिस अभिरक्षा से छुडाकर भाग गये, जिस पर से थाना कुकरेश्वर, जिला नीमच में अपराध क्रमांक 20/2009, अंतर्गत धारा 395, 397, 224, 353, 332, 307/120बी भा.द.वि. एवं धारा

25 व 27 आयुध अधिनियम की प्रथम सूचना रिपोर्ट बंशी गुर्जर व अन्य के विरूद्ध दर्ज की गई और उक्त घटना के उपरांत पुलिस थाना रामपुरा व कुकरेश्वर, बंशी गुर्जर की तलाश करने लगे। थाना रामपुरा में नाकाबंदी की योजना एसडीओपी मनासा द्वारा बनाई गई एवं समझाईश दी गई। पुलिस अधीक्षक की सूचना से अधिकारी एवं कर्मचारियों को अवगत कराया गया। अनिल पाटीदार एसडीओपी, मनासा द्वारा नाकाबंदी हेतु दो पार्टियां बनाई गईं, पहली पार्टी में निरीक्षक श्री परमार, उपनिरीक्षक मुख्तार कुरैशी, प्रधान आरक्षक श्यामलाल, बेणीराम, आरक्षक अनोखीलाल, अनवर, मंगलसिंह मय हथियार थे एवं दूसरी पार्टी में सहआरोपी जी.ई. कार अपनी पिस्टल के साथ एवं उप निरीक्षक विवेक गुप्ता, अनिल पाटीदार एसडीओपी मनासा, मय पिस्टल एवं प्रधान आरक्षक भगवान सिंह, आरक्षक नीरज प्रधान, फतेहसिंह, दुर्गाशंकर, मुनव्वर–उद–दीन, मय रायफल व चालक कमलेन्द्र थे। पहली पार्टी बैसला घाट के उपर शासकीय वाहन को रोड पर तिरछा खड़ा रखेगी, यदि बदमाश भागने का प्रयास करता है तो उसका पीछा कर सके तथा पहली पार्टी से दूसरी पार्टी को रामपुरा से 300 मीटर आगे बैसला घाट के उतार पर नाकाबंदी करने हेतु रहेगी। पहली पार्टी की सूचना मिलने पर दूसरी पार्टी बदमाश बंशी को रोकने का प्रयास करेगी तथा दोनों पार्टियों को समझाईश दी गई थी कि आरोपी खतरनाक है, वह हथियार रखता है तथा नाकाबंदी में अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। पहली पार्टी थाना कुकरेश्वर के शासकीय वाहन तथा दूसरी पार्टी एसडीओपी मनासा के शासकीय वाहन में बैठकर एसडीओपी मनासा के निर्देश में बैसाला घाट पर नाकाबंदी हेतु 01.10 बजे रवाना हुई व करीब 1.30 पर बैसला घाट पहुंची। एसडीओपी द्वारा निर्धारित स्थान पर नाकाबंदी हेतु खड़ा कराकर, प्रथम पार्टी के बाद दूसरी पार्टी को अपने साथ लेकर बैसला घाट के उतार पर बनी पुलिया के पास नाकाबंदी हेतु लगाया गया। 01.40 बजे पहली पार्टी को बताया गया कि जैसे ही आरोपी बंशी आता दिखे तो टार्च से दूसरी पार्टी को सूचित करे, दूसरी पार्टी द्वारा प्रयोग के तौर पर टार्च जलाकर पहली पार्टी को इशारा किया तो दूसरी पार्टी ने भी टार्च जालकर इशारा किया। करीब 2.25 बजे मोटरसायकिल पर दो व्यक्ति रामपुरा की ओर से चेकिंग पोइंट की ओर से गुजर रहे थे, उन्हें रोककर पूछा तो उन्होंने अपना नाम गुडड् उर्फ सईद एवं इब्राहिम बताया। तभी पहली चेकिंग पार्टी की ओर से टार्च जला–बुझा कर इशारा दिया और चिल्लाहट सुनाई दी कि बंशी गुर्जर रूक जा एवं आत्मसमर्पण कर दो, तभी तीन गोलियों की आवाज सुनाई दी, तो जी.ई. कार ने भी आवाज देकर बदमाश को रूकने के लिए चिल्लाया, तभी उन्हें जान से मारने की मंशा से बदमाश ने दो

फायर उनकी तरफ किया, जिससे एक गोली जी.ई. कार के बांये भुजा में रगडते हुए निकली व एस.आई. विवेक गुप्ता ने बताया कि उसे पेट की बांयी ओर रगडती हुई एक गोली निकली है तभी जी.ई. कार व विवेक गुप्ता ने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक–एक गोली फायर की, एसडीओपी मनासा पाटीदार द्वारा भी एक फायर किया गया। फायरिंग के बाद बदमाश की मोटरसायकिल लहराते हुए एक बडे पत्थर से टकरा गई और मोटरसायकिल काफी दूर तक घिसटती हुई चली और मोटरसायकिल बदमाश के उपर गिर गई तभी पहली पार्टी भी मौके पर आ गई। वाहन की लाईट में बंशी गुर्जर, जो सिर पर मुफलर बांधे थे, की पहचान हुई, बंशी गुर्जर के पास एक पिस्टल पडी थी, उसकी मेग्जीन व चेम्बर में एक–एक राउंड जिंदा कारतूस मिले तथा घायल बंशी के बेल्ट में एक पिस्टल मिली तथा बंशी की पेंट की जेब में रेगजीन का पर्स मिला, जिसको चेक करने पर एक डायरी जिसमें बंशी गुर्जर का नाम व पता लिखा था एवं बिल आदि बंशी के नाम के मिले एवं नगद रूपये मिले थे। चूंकि बंशी गुर्जर घायल था इसलिए तत्काल उसे फोर्स सहित शासकीय वाहन से सी.एस.सी. रामपुरा इलाज हेतु रवाना किया तथा चिकित्सक द्व ारा उसे मृत घोषित किया गया। उक्त घटना की रिपोर्ट जी.ई. कार के द्व ारा थाना रामपुर में की जाने पर अपराध कमांक 27/2009 अंतर्गत धारा 307, 353, 332 भा.द.वि एवं धारा 25, 27 आयुध अधिनियम की कायमी कर, बंशी गुर्जर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की तथा बाद में पुलिस थाना नीमच केंट के अपराध कमांक 154/2011 में विवेचना दौरान दिनांक 25.09.2012 को घनश्याम धाकड़ द्वारा गिरफ्तार होने पर पुसिल को सूचना दी कि बंशी गुर्जर अभी जीवित है तथा उसके बाद बंशी गुर्जर को उक्त अपराध में गिरफ्तार किया गया तथा अपराध कमांक 27/2009 को पुनः प्रारंभ कर मामला सी.आई.डी. उज्जैन को दिया गया। माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की रिट पिटीशन कमांक 10525/2013 में पारित आदेश दिनांक 27.10.2014 को उक्त फेक एनकाउंटर के संबंध में विवेचना हेतु प्रकरण सी.बी.आई. को सौंपा गया तथा सीबीआई द्वारा उक्त प्रकरण को आर.सी.08(एस)/2014/सी.बी.आई./एस.सी.–III/एन.डी. पर पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना में लिया गया।

उभयपक्ष के जमानत आवेदन के संबंध में तर्क श्रवण किये गये ।

आवेदक की ओर से मुख्य रूप से तर्क किया गया है कि सीबीआई की फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर मुठभेड का पुनःनिर्माण किया गया था, उक्त जांच 10 वर्ष पूर्व सीबीआई की टीम द्वारा संपादित की गई है। यदि घटना आरोपीगण द्वारा फर्जी रूप से कारित की गई होती तो इस आशय का प्रतिवेदन फोरेंसिक टीम द्वारा दिया होता और वह केस डायरी में भी संलग्न होता तथा सीबीआई द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 307 भा.द.वि. में लेख की गई है जबकि सीबीआई अनुसार एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या की गई है, जिसमें धारा 302 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए, इस कारण मूल प्रश्न यह है कि अपराध में फरियादी कौन व्यक्ति है जिसकी हत्या का प्रयास किया गया है।

सीबीआई की ओर से तर्क किया गया है कि फोरेंसिक रिपोर्ट केस डायरी में संलग्न है तथा सीबीआई को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उक्त प्रकरण प्राप्त हुआ था, इस कारण जिस अपराध के संबध में थाना रामपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई थी उसी आधार पर सीबीआई ने भी रिपोर्ट लेख की थी तथा विवेचना दौरान सीबीआई ने जमानत आवेदन के जवाब में स्पष्ट उल्लेख किया है कि आवेदक व सहआरोपीगण के द्वारा प्रथमदृष्टया 120बी, सहपठित धारा 302, 119, 193 एवं 201 भादवि का अपराध किये जाने के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य अभिलेख में उपलब्ध हैं।

सीबीआई की केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अनुसार आवेदक पर बंशी गुर्जर के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का एनकाउंटर कर उसकी मृत्यु कारित करने का आरोप है तथा उक्त व्यक्ति को बंशी गुर्जर के रूप में एनकाउंटर में मृत होना बताया गया था, जबकि बाद में बंशी गुर्जर को अन्य अपराध में जीवित होने से गिरफ्तार किया गया है। आवेदक पुलिस टीम का सदस्य था तथा उसके द्वारा भी अपनी पिस्टल से गोली फायर की गई थी। सीबीआई द्वारा विवेचना में आवेदक से पूछताछ किये जाने की आवश्यकता होना बताया गया है तथा आवेदक को उक्त अपराध में असत्य संलिप्त किया जाना प्रथमदृष्टया अभिलेख से प्रकट नहीं होता है। आवेदक पर आरोपित अपराध की गंभीर प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482 बीएनएसएस अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

केस डायरी सीबीआई नई दिल्ली को आदेश की प्रतिलिपि सहित वापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम अंकित कर जमानत अभिलेख, अभिलेखागार में जमा किया जावे।

RUPAM VEDI

Digitally signed by RUPAM VEDI
Date: 2025.05.17 17:01:51 +0530

सही/–
(रूपम वेदी)
विशेष न्यायाधीश (सी.बी.आई.)
जिला इन्दौर (म0प्र0)